(ALL BATCHES)

DATE: 15.09.2018 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER 2 :LAW

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.

Question No. 1 is compulsory.

Candidates are also required to answer any Four questions from the remaining Five Questions.

In case, any candidate answers extra question(s)/sub-question(s) over and above the required number, then only the requisite number of questions first answered in the answer book shall be valued and subsequent extra question(s) answered shall be ignored.

Wherever necessary, suitable assumptions may be made and disclosed by way of note.

Answer: 1

(a) **{**खण्डन द्वारा प्रत्याभूति की समाप्ति (समस्या) [Discharge of Surety by Revocation (Problem)]—भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 130 के अनुसार विशिष्ट प्रत्याभूति की दशा में प्रतिभू द्वारा दायित्व आरम्भ होने के पश्चात् अपनी प्रत्याभूति का खण्डन नहीं किया जासकता।**(1M)}{**एक सतत प्रत्याभूति किसी भी समय सूचना देकर भविष्य में होने वाले व्यवहारों केसम्बन्ध में रद्द की जा सकती है, लेकिन वह प्रत्याभूति रद्द करने से पहले के व्यवहारों के प्रतिउत्तरदायी रहेगा।**(2M)}**

{उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार हाँ, रवि बाद में दिए गए सभी ऋणों के दायित्व से मुक्त हो गयाक्योंकि यह सतत प्रतिभूति का अनुबन्ध है। रवि, नलिन को दिए गए रू.20,000के लिए दायी हैक्योंकि यह ऋण प्रत्याभूति वापस लेने से पहले ही दिया जा चुका था।**(3M)}**

(b) **{**एजेन्सी से सम्बन्धित समस्या (Problem on Agency)—पूछी गई समस्या भारतीय अनुबन्धअधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अन्तर्गत एजेन्सी उत्पन्न करने की विधियों पर आधारित है।कानूनी अवधारणा के अन्तर्गत एजेन्सी उत्पन्न की जा सकती है। यदि एक शादीशुदा स्त्री रखैलके रूप में किसी पुरुष के साथ में रहे (तो पत्नी को पति का गर्भित रूप से एजेन्ट माना जाताहै)। यदि पत्नी पति के साथ रहती है तो यह कानूनी अवधारणा है कि पत्नी को पति की साखजीवन की आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिए गिरवी रखने का अधिकार है। लेकिन निम्नलिखितदशाओं में कानूनी अवधारणा को उल्टा जा सकता है :**(2M)}**

(i)**{**जब क्रय की गई वस्तुएँ आवश्यकता की वस्तुएँ नहीं हैं।

(ii)जब पत्नी को पर्याप्त धन जीवन की आवश्यकताएँ खरीदने के लिए दिया हुआ हो।

(iii)जब पत्नी को कोई भी वस्तु उधार खरीदने से मना किया गया हो।

(iv)जब व्यापारी को स्पष्ट रूप से पत्नी को उधार माल बेचने के लिए मना कर दिया गयाहो।**(2M)}**

{यदि पत्नी बिना अपनी किसी गलती के कारण पति से अलग रहती है तो पत्नी पति की साखआवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिए गिरवी रख सकती है। कानूनी अवधारणा उपर्युक्त (iii)व (iv) मामलों में उल्टी जा सकती है।

दिये गये प्रश्न के सम्बन्ध में उपर्युक्त शर्तों को लागू करने पर Qको सफलता मिलेगी। वह Pसेउपर्युक्त राशि वसूल कर सकता है। यदि उसके द्वारा खरीदी गई साड़ियाँ जीवन कीआवश्यकता है।**(2M)}**

(c) **{**यह उदाहरण यथाविधि के अधिकारों पर आधारित है। परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा120 में प्रावधान है कि कोई भी विपत्रकर्ता उस पर यथाविधि धारक द्वारा किए गए दावे में विलेखकी वैधता से

इंकार नहीं करेगा जैसा कि वह मूल रूप में बनाया गया था यथाविधि धारक विपत्रका पूर्ण अधिकार होता है।**(2M)}**

{इसलिए दिए गए उदाहरण में Jइस विपत्र की राशि देने के लिए उत्तरदायी है। Lयथाविधिधारक है जिसे वह विपत्र निश्चल विश्वास में तथा पूर्ण मूल्यवान रूप में मिला था। (इंगहम बनामप्रिमरोस)**(2M)}**

(d) **{**हालांकि यह स्थापित कानूनी तथ्य है जो कि कई उदाहरण में देखा गया है कि अवयस्क जबअनुबन्धात्मक रूप में बाध्य है वह अनुबन्ध के सभी फायदों का आनन्द लेगा और वह किसीदायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।**(2M)}**

{इस प्रकार कम्पनी अवयस्क को सदस्य के रूप में पंजीकृत करती है तो वह किसी दायित्व केलिए जिम्मेदार नहीं होगा जब तक वह अवयस्क है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार कम्पनीअवयस्क को सदस्य के रूप में पंजीकृत नहीं कर सकती है।

ऊपर दिए गए प्रावधानों के अनुसार मै. हॉनेस्ट साईकिल्स लि. मि. बालक को 1,000अंशहस्ताक्षरण कर सदस्यता दे सकती है चूंकि अंश पूर्णतः चुकता है और इस प्रकार उनके पासकिसी प्रकार का दायित्व नहीं है।**(2M)}**

Answer :2

(a) **{नियम का सामंजस्यपूर्ण निर्माण का मतलबः**जब एक विधि के शब्दों के अर्थ के बारे में संदेह होता है, तो ये उन अर्थों में समझा जाना चाहिए जिसमें वे कानून के विषय और उस वस्तु के साथ मिलते हैं जो विधायिका के पास था। जहां एक कानून में दो या अधिक प्रावधान हैं, जो एक–दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकते हैं, उन्हें उन सभी को प्रभावित करने के लिए, जहां भी संभव हो, व्याख्या की जानी चाहिए। इसे नियम के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के रूप में जाना जाता है।**(2M)}**

{यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक विधि पूर्ण रूप से पारित किया गया है और धारा में नहीं है और यह एक सामान्य उद्देश्य और इरादे से अनुप्राणित माना जा सकता है। न्यायालय का कर्तव्य है कि यदि संभव हो तो विधि के सभी हिस्सों को प्रभाव दें। लेकिन इस सामान्यसिद्धांत का मतलब विधायिका के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए अदालतों को निर्देशित करना है, इसे अधिभावी (ओवरराइड) करना नहीं है।**(2M)}**

{नियम का उपयोगःएक सामंजस्यपूर्ण निर्माण का नियम केवल तभी लागू होता है जब एक अधिनियम के प्रावधानों के बीच वास्तविक और न केवल स्पष्ट संघर्ष होता है, और उन्हे एक दूसरे के अधीन नहीं किया गया है। जब उनके संदर्भ को समझने के बाद शब्द केवल एक ही अर्थ के लिए सक्षम होता हैं, तो सामंजस्यपूर्ण निर्माण का नियम गायब हो जाता है और शाब्दिक निर्माण के शासन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।**(2M)}**

(b) **{**प्रश्न में पूछी गई समस्या भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872की धारा 160व 161के प्रावधानोंपर आधारित है। फलस्वरूप निक्षेपी का कर्त्तव्य है कि वह निक्षेप किये गये माल को निक्षेपकर्ताको वापस कर दे अन्यथा उसके निर्देशानुसार उसका निपटारा बिना मांग के तथा जैसे ही उनकासमय बीत गया है अथवा उद्देश्य समाप्त हो गया है जिसके लिए माल निक्षेप किया गया था।धारा 161के अनुसार यदि निक्षेपी की भूल के कारण माल वापस सुपुर्द अथवा उसका निपटारानहीं किया जाता है, तो निक्षेपी निक्षेपक को उस समय के बाद होने वाली हानि के लिए दायीहोगा चाहे उसने आवश्यकता से अधिक माल की देखभाल या सुरक्षा क्यों न की हो।**(4M)}**

{इसलिए उपर्युक्त प्रावधानों को दिये गये मामले में लागू करने से महेश दायी है। यद्यपि वहअसावधान नहीं था, तथापि उसके द्वारा कार उचित समय में वापस न करने के कारण। [शॉएण्ड कं. बनाम सिम्मन एण्ड सन्स]**(2M)}**

(c) बिना भुगतान चैक का लौटाना–आधार (Dishonour of Cheque-Grounds)—कोई भी बैंक निम्नआधारों पर किसी चैक की बिना भुगतान के लौटाने के लिए बाध्य है या न्यायसंगत होता है।

- यदि चैक पर कोई तिथि नहीं लिखी गई है या वह चैक पुराना हो गया है यानि की वह चैक दी गई अंतिम तिथि से पूर्व भुगतान के लिए बैंक को प्रस्तुत नहीं किया गया है और यह समय अवधि चैक जारी करने की तिथि से तीन माह या एक वर्ष हो सकती है जैसी भी परिस्थितियाँ हों।

- यदि वह विलेख त्रुटिपूर्ण और सभी प्रकार से संशयों से मुक्त नहीं है।
- यदि चैक भविष्य की तिथि का है और वह बैंक को भुगतान के लिए दी गई तिथि से पूर्व प्रस्तुत कर दिया गया है।
- यदि ग्राहक की धनराशि उसके खाते में प्रचुर मात्रा में भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, यदि ग्राहक के खाते में उपलब्ध धन राशि पर बैंक का प्रथम अधिकार है, क्योंकि वह धन राशि बैंक के पास गिरवी आधार पर है या वह धनराशि बैंक के किसी बकाया को पूरा करने के लिए है, तो यह कहा जा सकता है कि बैंक में उपलब्ध जमा राशि ग्राहक द्वारा जारी किए गए चैक के भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं है और यदि ऐसा हो, तो बैंक द्वारा बिना भुगतान चैक को लौटाना न्यायसंगत होगा।
- यदि चैक जारी करने वाले ग्राहक का जिस बैंक शाखा में खाता है और जमा है और ग्राहक ने चैक किसी अन्य बैंक शाखा पर जारी किया है, जिसमें उसका खाता है या उसके खाते से पहले ही अधिक भुगतान हुआ है।
- यदि बैंक को ग्राहक के दिवालिया होने का या मानसिक रूप से ग्रस्त होने की सूचना मिली हुई है।
- यदि ग्राहक द्वारा बैंक को उस अधिकारी को समाप्त कर देता है कि वह उस चैक का भुगतान कर सके।
- यदि बैंक को किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी से यह आदेश प्राप्त होता है कि ग्राहक के खाते को जब्त कर लिया गया है या उस ग्राहक द्वारा खाते के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
- यदि बैंक को उस अधिकार को जिसके फलस्वरूप वह ग्राहक द्वारा जारी चैकों का भुगतान करता है। ग्राहक की मृत्यु के कारण क्षति पहुँची है, लेकिन ग्राहक की मूल्य की आधिकारिक सूचना के प्राप्त होने से बैंक द्वारा किए गए भुगतान वैध होंगे।
- यदि बैंक को खाते की बात करने का नोटिस किसी भी एक पक्ष या दूसरे पक्ष द्वारा दिया जाता है।
- यदि चैक में मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं या उस पर किए गए हस्ताक्षर ठीक नहीं है या उस चैक पर किया गया अनुमोदन उचित नहीं है।

½ Mark for each valid point (Maximum marks upto 4 Marks)

(d) **{**अंशों को जब्त करना तथा इसका प्रभाव (Forfeiture of Shares and the Consequences)

कम्पनी अधिनियम, 2013 अन्तर्नियमों में लिखे जाने के लिए अंशों की जब्ती की प्रक्रिया एवनियमों को निर्धारित करती है। इसलिए, अंशों की जब्ती अधिनियम की जगह अन्तर्नियमों से हीशासित होती है। हालांकि अधिनियम की Table Fपहले से बने हुए ड्राफ्ट अन्तर्नियम देती है, कोलिमिटेड कम्पनियों द्वारा पूरे या कुछ संशोधन के साथ अपनाए जा सकते हैं। अधिनियम औरTable Fके अनुसार जब्ती पर शर्तें औरलागू होने वाले नियम अग्रलिखित हैं :

अंश जब्त करने के लिए आवश्यक शर्तें (Conditions to be satisfied for forfeiture)—

1. अन्तर्नियमों के अनुसार (In accordance with the Articles)—अंशों का हरण कम्पनी के अन्तर्नियमों द्वारा अधिकृत होना चाहिए तथा कम्पनी के लाभ के लिए होना चाहिए।
2. अंशों का हरण करने से पहले सूचना देना (Notice prior to forfeiture)—तालिका 'F' विनियम 28 के अनुसार कम्पनी द्वारा अंशधारी को याचना का भुगतान ब्याज सहितनिश्चित अवधि में करने के लिए सूचना देना आवश्यक है।
3. सूचना की तिथि से कम–से–कम 14 दिन का समय देय राशि के भुगतान के लिए देनाआवश्यक है। (Article 29 of Table F)
4. यह सूचित करना कि उपर्युक्त सूचना के अनुसार यदि भुगतान नहीं किया गया तो अंशोंका हरण कर लिया जाएगा [तालिका 'F' विनियम 29]। अंश हरण की सूचना में देयराशि का सही उल्लेख होना आवश्यक है। यदि सूचना में कोई कमी रह जाती है तो अंशहरण अवैधानिक माना जाएगा।
5. निदेशक मण्डल का संकल्प (Resolution of the Board)—यदि चूक करने वाला अंशधारीनिर्धारित समय में भुगतान नहीं करता है तो निदेशकों को अंश हरण करने का संकल्पपारित करना अनिवार्य है। (Article 30)अंश हरण की सूचना भी निर्धारित प्रारूप में अंशधारी को देनी अनिवार्य है। यदि यह संकल्प पारित नहीं किया जाता है तो अंश हरण अवैधानिक होगा। लेकिन, यदि अंश हरण की सूचना में संकल्प सम्मिलित है तो उक्त संकल्प पारित करना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, सूचना में

यह स्पष्ट कर दिया गया हो कि ''इस सूचना के पालन करने में चूक की गई तो यह मान लिया जाऐगा कि अंशों का हरण हो गया है।''

6. सद्विश्वास (Good faith)—अंश हरण करने की शक्ति सद्विश्वास में निष्पादित करनी चाहिए तथा कम्पनी के लाभ के लिए किसी भी दशा में यह शक्ति निदेशकों को अपने दायित्व से बचने के लिए नहीं करनी चाहिए।**(2M)}**

{अंश हरण का प्रभाव (Effect of forfeiture)

1. सदस्यता की समाप्ति–एक व्यक्ति के अंशों का हरण हो जाने पर उसकी सदस्यतासमाप्त हो जाएगी, लेकिन अंशों पर देय याचना का भुगतान करने के लिए वह उत्तरदायीरहता है।
2. दायित्व की समाप्ति–उसका दायित्व केवल अंशों पर देय राशि चुकाने पर ही समाप्त होगा।
3. हरण किये अंश कम्पनी की सम्पत्तिकृअंशों का हरण होने के बाद ये अंश कम्पनी की सम्पत्ति बन जाते हैं तथा कम्पनी उन्हें पुनः जारी कर सकती है अथवा उन्हें निरस्त कर सकती है, जैसा ठीक समझे। अंशों का खरीदार सभी याचनाओं का भुगतान करने के लिए दायी है, उस याचना सहित जिसके न दिये जाने के कारण अंशों का हरण किया गया था। लेकिन जहाँ अन्तर्नियम में यह प्रावधान है कि एक अंशधारी, जिसके अंशों का याचना न देने के कारण हरण किया गया था, वह बकाया याचना राशि का भुगतान करने का दायी है तो खरीदार केवल याचना राशि तथा उन अंशों के पुनः निर्गमन पर प्राप्त राशि के अन्तर के बराबर (यदि अंशों पर प्राप्त राशि, याचना राशि से कम है)धनराशि का भुगतान करने के लिए दायी है।**(2M)}**

Answer :3

(a) **{**विपत्र की परिपक्वता की गणना करना (Calculation of maturity of a Bill of Exchange)— किसी विपत्र की परिपक्वता जो कि माँग पर भुगतान योग्य नहीं है या दृष्टिगत होते ही, याप्रस्तुत किए जाते ही देय है, अन्य विपत्र जिस तिथि पर भुगतान के लिए देय है उसका भुगतानउस तिथि के तीन दिन के भीतर किया जाना चाहिए (परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा22 के अनुभाग 2 के अनुसार) तीन दिन छूट के रूप में दिए जाते हैं। माँग पर भुगतान किएजाने वाले विपत्र या दृष्टिगत होने पर भुगतान योग्य या प्रस्तुत किए जाने पर भुगतान किए जानेविपत्रों पर छूट के तीन दिन नहीं दिए जाते हैं।**(2M)}**

{जब कोई विपत्र दिए गए कई माह के उपरान्त भुगतान योग्य होता है, जो कि उस विपत्र केबनाए जाने की तिथि के उपरान्त उन माह के उपरान्त उसी तिथि को भुगतान योग्य हो जाएगा।जब कोई विपत्र दृष्टिगत होने के तिथि से दिए गए माह की संख्या के बाद दिए गए माह बीतनेपर दृष्टिगत होने की तिथि पर देय होगा, जिस तिथि दिवस पर स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कियागया था या उस तिथि को देय होगा जिस तिथि पर वह विपत्र अस्वीकार किया गया था या उसविपत्र का विरोध किया गया था और अस्वीकार कर दिया गया था। जब कोई विपत्र दिए गएमाह के उपरान्त या किसी घटना के उपरान्त दिए गए माह का उसी तिथि पर देय होगा या तोजो समय दिया गया है या कोई घटना घटी हो (धारा 23)

जब कोई विपत्र दृष्टिगत होने के उपरान्त दिए गए माह के उपरान्त देय होगा और उसे भुगतानके लिए स्वीकार कर लिया गया है, तो वह विपत्र भुगतान योग्य उस तिथि को होगा, जो दिएगए माह के उपरान्त किसी माह में आती है।

यदि किसी माह में वही तिथि नहीं आती है, तो उस विपत्र की अवधि उस माह के अंतिम दिनपर समाप्त होगी (धारा 23)

अवधि की गणना की तिथि वह होगी, जिस दिवस को विपत्र जारी किया गया था और उस परकुछ माह की अवधि दी गई थी, जो दिनों या महीनों में हो सकती है, उस तिथि को देय होगाया वह विपत्र दृष्टिगत होता है या किसी विशेष घटना के उपरान्त उसकी परिपक्वता होती है,उस तिथि का दिवस या जिस दिवस को वह प्रस्तुत किया जाता है या वह दिवस जिस दिनविरोधस्वरूप उसे अस्वीकार कर दिया गया था या वह दिवस जब कोई घटना घटती है उसकोनहीं गिना जाता है (धारा 24)

इन विपत्रों में उनमें भुगतान की तिथि से तीन दिन छूट के रूप में भुगतान के लिए दिए जाते हैं(धारा 22)

जब छूट का अंतिम दिन यदि किसी सार्वजनिक अवकाश का दिन होता है तो उस विपत्र काभुगतान अवकाश के पहले दिन देय होता है (धारा 25)**(2M)}**

{समस्या उत्तर की (Answer to Problem)—इस उदाहरण में दृष्टिगत प्रस्तुतीकरण की तिथि कोनहीं गिना जाएगा यानी कि 4 मई, 2000 वाले दिन नहीं गिना जाएगा। 100 दिन की दी गईअवधि 12 अगस्त, 2000 को समाप्त होगी (मई 27 दिन + जून के 30 दिन जुलाई के 31 दिन +12 दिन अगस्त के) इसमें

तीन दिन छूट के जमा किए जाने हैं। इस प्रकार, यह विपत्र 15अगस्त की भुगतान योग्य बनता है, परन्तु 15 अगस्त सार्वजनिक अवकाश का दिन है, इसलिएयह विपत्र 14 अगस्त को भुगतान के योग्य होगा, क्योंकि यह सार्वजनिक अवकाश से पूर्व कार्यदिवस है।**(2M)}**

(b) **{**नियन्त्रक कम्पनी तथा सहायक कम्पनी का सम्बन्ध (Holding and subsidiary relationship)— कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(87)के अनुसार "सहायक कम्पनी" को ऐसी अन्य कम्पनी केरूप में परिभाषित करती है जिसमें सूत्रधारी कम्पनी स्वयं अथवा अपनी सहायक कम्पनी के साथमिलकर दूसरी कम्पनी के अंकित मूल्य के आधे से अधिक साधारण अंशों की धारक है।**(3M)}**

{इस केसमें XYZएवं BCLPvt.Ltd.के पास AVS Pvt.Ltd.के अंशों का बड़ा हिस्सा है। ये दोनोंकम्पनियां TSRकी सहायक कम्पनी हैं। TSR Pvt. Ltd.जिसके पास AVS Pvt. Ltd.के अंशोंका बड़ा हिस्सा है। अतः TSRPvt. Ltd.को AUS Pvt. Ltd.की सूत्रधारी कम्पनी मानाजाएगा।**(3M)}**

(c) **{**अनियमित आबंटन (Irregular allotment) :कम्पनी अधिनियम, 2013 अलग से अंशों केअनियमित आबंटन जैसे नाम नहीं देता है, इस प्रकार प्रतिभूतियों के निर्गमन से सम्बन्धित सभीप्रावधानों एवं उन प्रावधानों के पूर्ण न होने पर होने वाले परिणाम का अध्ययन करना पड़ेगा।

कम्पनी का आबंटन तब अनियमित माना जाएगा जब कम्पनी धारा 23, 26, 39 एवं 40 काउल्लंघन करती है, अनियमित आबंटन निम्नलिखित परिस्थितियों उत्पन्न होगा।

(1) जब कम्पनी सार्वजनिक निर्गमन के लिए धारा 23 के अनुसार प्रविवरण जारी नहीं करती है;
(2) जहां प्रविवरण कम्पनी के द्वारा जारी किया गया है उसमें धारा 26(1)के अनुसारविषय–वस्तु शामिल नहीं की गयी है अथवा जो दी गयी सूचनाएं मिथ्याकथन, गलत एवंदोषपूर्ण हैं;
(3) प्रविवरण को धारा 26(4)के अनुसार रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत नहीं कराया गया है;
(4) धारा 39 के अनुसार प्रविवरण में उल्लिखित न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं हुआ है;
(5) प्रत्येक प्रतिभूति आवेदन पर न्यूनतम देय राशि नामांकित राशि से 5%कम हो या SEBI द्वारा निर्दिष्ट प्रतिशत एवं राशि से कम हो;
(6) सार्वजनिक निर्गमन के केस में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अनुसारप्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए एक अथवा अनेक मान्य स्कन्ध विपणि को आवेदन नहींकिया है।**(2M)}**

{अनियिमित आबंटन का परिणाम (Effects of irregular allotmen) :अनियमित आबंटन केपरिणाम अनियमितता की प्रकार के आधार पर होता है फिर भी कम्पनी अधिनियम, 2013 इसकाजिक्र नहीं करता है कि अनियमित आबंटन के केस में समझौता आबंटी की इच्छा पर आरम्भ सेशून्य हो सकता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 26(9)के अनुसार अगर प्रविवरण धारा 26 के प्रावधान कीअवहेलना में किया गया है, कम्पनी पर रू.50 हजार से रू.3 लाख तक अर्थदण्ड और ऐसे प्रत्येकव्यक्ति पर जो कि जानते हुए ऐसे प्रविवरण के निर्गमन का पक्षकार है उसे तीन वर्ष तक कीसजा अथवा रू.50 हजार से रू.3 लाख तक अर्थदण्ड अथवा दोनों हो सकते हैं।

उसी तरह यदि कम्पनी उल्लिखित न्यूनतम राशि का अभिदान नहीं हुआ और प्रविवरण की तिथिसे तीस दिन के अन्दर आवेदन पर देय राशि प्राप्त नहीं हुई है, कम्पनी निर्धारित समय के अन्दरआवेदन पर प्राप्त राशि को वापस कर देगी। आबंटन इसकी अवहेलना करते हुए किया जाता हैवह आरम्भ से ही शून्य हो जाएगा और दोषी कम्पनी एवं अधिकारी धारा 39(5)के अन्तर्गत सजाप्राप्ति के योग्य होंगे।

धारा 40(5)के अनुसार अगर कम्पनी सार्वजनिक निगम में कम्पनी को मान्य स्कन्ध विपणि मेंपंजीकरण के लिए अनुमति प्राप्त करने में असफल हो जाती है तो कम्पनी पर न्यूनतम रू.5 लाखसे रू.50 लाख तक अर्थदण्ड एवं कम्पनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को एक वर्ष तक की सजाऔर रू.50 हजार से रू.3 तीन लाख तक अर्थदण्ड अथवा दोनों अधिरोपित हो सकते हैं।

इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 2013 के कई प्रावधानों के तहत अनियमित आबंटन के लिए कड़ीसजा का प्रावधान है, परन्तु आबंटी इस आबंटन के साथ जाना चाहता है तो भी प्रावधान इसकीइजाजत नहीं देते हैं।**(2M)}**

(d) **{**किसी भी वर्ष में अपर्याप्तता या अनुपस्थिति की स्थिति में, कंपनियों के नियम 3(घोषणा और लाभांश का भुगतान) 2014 के अनुसार, एक कंपनी निम्न शर्तों की पूर्ति हेतु अधिशेष के आधीन लाभांश को घोषित कर सकती है:

1. घोषित लाभांश की दर उस दर के औसत से अधिक नहीं होगी, जिस पर उस वर्ष से तत्काल तीन वर्षों में लाभांश घोषित किया गया था य
   बशर्ते यह उप–नियम उस कंपनी के लिए लागू नहीं होगा, जिसने पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया है।
2. इस तरह के संचित लाभ से ली जाने वाली कुल राशि, अपने पेड–अप शेयर पूंजी की राशि और नवीनतम निगमित वित्तीय विवरणों में प्रकट होने के मुकाबले मुक्त भंडार के दसवें अंश से अधिक नहीं होगीय
3. इस तरह तैयार की गई राशि का उपयोग पहले उस वित्तीय वर्ष में हुए नुकसान की भरपाई में किया जाएगा, जिसमें इक्विटी शेयरों के संबंध में लाभांश घोषित किया गया हैय
4. ऐसे निकासी के बाद का कुल भंडार, नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में दिखने वाले अपने पेड अप शेयर पूंजी के 15प्रतिभात से कम नहीं होगा।**(2M)}**

{इसलिए दिए गए मामले में, कंपनी 20प्रतिभात के लाभांश की घोषणा कर सकती है, इसके भुगतान के बाद उसके पास शेष भंडार की आवश्यकता है, इसमें भुगतान की गई पूंजी का 15प्रतिभात इसकी नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के रूप में दिख रहा है। लाभांश कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुशंसित होना चाहिए और कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति के लिए वार्षिक आम बैठक में जहां पर कंपनी सदस्यों के साथ मिथ्याविवरणों की घोषणा करती है, रखना चाहिए।**(2M)}**

Answer: 4

(a) {"ऋणपत्र शौधन संचय" खाता (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 (अंश पूँजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 :जब कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 में ऋणपत्र जारी करती है तो कम्पनी लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध संचय में से ऋणपत्र शोधन संचय बनायेगी और कम्पनी इस संचय का उपयोग ऋणपत्रों के शौधन के अलावा किसी दूसरी जगह नहीं करेगी।

कम्पनी ऋणपत्र शोधन संचय बना सकेगी, यदि निम्नलिखित शर्तों के अनुसार

(a)लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध लाभों में से ही ऋणपत्र शोधन संचय बनाना होगा।

(b)कम्पनी निम्न शर्तो के अनुसार ऋणपत्र शोधन संचय बना सकेगी।**(2M)}**

(i) **{**सभी भारतीय वितीय संस्थान जो भारतीय रिजर्व बैंक से नियमित होते है उसे ऋणपत्र शोधन संचय बनाने कि आवश्यकता नही है और बैंकिंग कम्पनियों को भी भले ही ऋणपत्र सार्वजनिक तौर पर दिये हो, या निजी तौर पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 कि धारा 1 के वाक्य (71) के अर्थ वाले अन्य वित्तीय संस्थान पर ऋणपत्र शोधन संचय लागू होगा जैसे गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है की तरह लागू होगा।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1997 के 45–1A धारा के अन्तर्गत गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी जो भारतीय रिवर्ज बैंक के साथ पंजीकृत है तो सार्वजनिक निर्गमन के मामले में 15% ऋणपत्रों की कीमत का जो निर्गमित किये गये हैं का ऋणपत्र शोधन संचय बनाया जायेगा और निजी निर्गमन के मामले में ऋणपत्र शोधन संचय की आवश्यकता नहीं है।

(iii)अन्य कम्पनियाँ जिनमे निर्माणागत और ढाँचागत कम्पनियां भी शामिल हैं को ऋणपत्र निर्गमन की कीमत का 15% ऋणपत्र शोधन संचय बनाना पर्याप्त है और निजी हस्तान्तरणक मामले में सूचीबद्ध कम्पनियों के मामले में 15%ऋणपत्र शोधन संचय आवश्यक है।

असूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा निजी हस्तान्तरण के मामले में ऋणपत्रों की कीमत का 15% ऋणपत्र शोधन संचय बनेगा।

17 मार्च, 2014 को MCA द्वारा जारी कम्पनी नियम, 2014 के अनुसार ऋणपत्रनिर्गमन के माध्यम से जो राशि प्राप्त हुई है उसका कम से कम 50% तक ऋणपत्र शोधन संचय बनाना होगा। इसके बाद 3 अप्रेल 2014 को राजपत्रित पत्र के प्रकाशन में उपरोक्त ऋणपत्र शोधन संचय बनाने की आवश्यकता को बदल दिया गया राजपत्रित पत्र नियम कुछ कम्पनियों की ऋणपत्र शोधन संचय के

निर्माण से छूट दे सकती है और अन्य कम्पनियों के मामले में ऋणपत्र शोधन संचय आवश्यकता ऋणपत्रों की कीमत का 50% से 25% तक कम कर दी गई है।

(c) प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक साल की 30 अप्रेल को या पहले ऋणपत्र शोधन संचय बनाना होगा, और यह राशि ऋणपत्रों की राशि का 15% से कम नहीं होगी जिन्हें अगले वर्ष की 31 मार्च तक परिपक्व होने वाले हैं। इसे एक या अधिक निम्न तरह से जमा किया जा सकता है :

(a) किसी शेड्यूल बैंक के साथ जो ग्रहणाधिकार से मुक्त है।

(b) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूति में

(c) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1881 की धारा 10 के उपवाक्य में दिखाई गई प्रतिभूति होनी चाहिए।

(d) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1881 की धारा 10क उपवाक्य के अन्तर्गत निर्धारित किसी अन्य कम्पनी द्वारा जारी किये गये बॉण्ड

(e) साल के दौरान शोधनीय ऋणपत्रों के अलावा इस निवेशित/जमा की राशि का कहीं उपयोग नहीं होना चाहिए : किसी भी मामले में, निवेश या जमा की गई राशि 31 मार्च तक परिपक्व ऋणपत्र की राशि का 15% से कम नहीं होने चाहिए।**(2M)}**

(d){अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्र के मामले में DÙK केवल अपरिवर्तनीय भाग के लिए ही इस उपवाक्य के अनुसार बनाया जायेगा।

(e) ऋणपत्र शोधन संचय में जमा राशि का ऋणपत्रों के शोधन के उद्देश्य के अलावाकहीं अन्य उपयोग नहीं होना चाहिए।**(1M)}**

(b){अंशो का आबंटन (Allotment of Shares) :कम्पनी न्यूनतम अभिदान जो प्रविवरण में उल्लिखित है उसका 80 प्रतिशत प्राप्त कर चुकी है। इस प्रकार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 39 (1) की अवहेलना करते हुए आबंटन किया है धारा 39 (1) के अनुसार कम्पनी जनता को प्रतिभूतियों का आंबटन तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रविवरण में उल्लिखित न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त नहीं हो जाता है। धारा 39 (3) के अनुसार कम्पनी द्वारा प्राप्त राशि (न्यूनतम अभिदान का 80 प्रतिशत) को आवेदक को वापस लौटा दिया जाएगा, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है।**(3M)}**

{इसलिए वर्तमान केस में X का यह अधिकार है कि वह प्रतिभूतियों के आबंटन को मना कर सकते हैं जो कम्पनी द्वारा अवैध रूप से किया गया है।**(2M)}**

(c) कम्पनी अधिनियम 2013 प्रविवरण में असत्य कथन (False Statement in Prospectus, The Companies Act, 1956)

(i) {हॉ, एक्स उन अंशो की अप्रदत्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि एक्स ने आंशिक रूप से प्रदत्त अंश खरीदे थे इसलिए इन अंशो की बकाया अप्रदत्त राशि का भुगतान करने का दायित्व उसका है। कम्पनी के निस्तारण के समय उसे अपने अंश भाग का भुगतान करना होगा। उससे सम्बन्धित निर्णय पीक बनाम गुरनी में दिया गया था।**(2M)}**

(ii){मि. एक्स प्रविवरण में दिये गये असत्य कथन के लिए निदेशकों से हर्जाना वसूल नहीं कर सकता है। यह आवश्यक है कि अंशधारक ने प्रविवरण में दिये कथन पर विश्वास करके अंशों को खरीदा हो पर यदि किसी व्यक्ति ने अंशों को खुले बाजार से खरीदा है तो उसके मामले में प्रविवरण लागू नहीं होता है। दी गयी समस्या में मि एक्स किसी निश्चित विश्वास के आधार पर अंशों को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा खरीदा है अतः उसने प्रविवरण में किये गये कथन पर विश्वास के आधार पर अंश नहीं खरीदे है इसलिए वह हर्जाने का दावा नहीं कर सकता है।**(3M)}**

(d){X Ltd. द्वारा 20 लाख धनराशि को वैज्ञानिक संस्थानों में बॉटा जाना शक्ति बाह्य नहीं है क्योंकि वह कैमिकल निर्माण करती है और किसी भी शक्ति बाह्य होने के लिए सीमानियम के उद्देश्य प्रलेख की तरफ

ध्यान देना चाहिए।**(2M)}{**प्रश्न में लगाई गई प्रतिबन्धकता उद्देश्य प्रलेख का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार के दान पर शक्ति बाह्य का सिद्धान्त नहीं लगता। (इवान्स बनाम ब्रनुर, मूड एण्ड कम्पनी लिमिटेड 1921) In order for a contract to be ultra vires, it would be essential to refer to its objects clause. Restrictions of the type mentioned in the question are not an item of the Objectives Clause. Hence, the issue of ultra vires does not arise to such a donation**(3M)}**

Answer 5:

(a){गारन्टी का अनुबन्ध :– ऐसा अनुबन्ध जिसमें एक पक्षकार यह वादा करता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो वह उसके वादे को पूरा करेगा।**(3M)}**

{क्षतिपूर्ति का अनुबन्ध :–एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उन सभी नुकसान की भरपाई करने का वादा करता है, तो उसको किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से अथा स्वयं वचनदाता के आचरण से उत्पन्न हो सकता है।**(2M)}**

(b)Proviso:-

- **{**मुख्य प्रावधान का यह अपवाद होता है।**(2M)}**
- **{**यह मुख्य प्रावधान में लिखी बात का विरोध करता है तथा उसे स्वीकार नहीं करता।
- यह कोई सामान्य नियम नहीं बताता।**(3M)}**

(c)

- **{आशय है :–**
  - इसका मतलब है परिभाषा में जितना लिखा गया है वहीं तक परिभाषा सीमित है।**(3M)}**
- **{सम्मिलित है :–**
  - इसका आशय है परिभाषा में जो लिखा गया है, उसमें कुछ और भी शामिल किया जा सकता है।**(2M)}**

(d)

- **{**एजुसडेम जेनरिस का अशय समान प्रकार के शब्दों से है।
- यदि कोई विशेष शब्द लिखे गये है तथा विशेष शब्दों के पश्चात् सामान्य शब्द लिखे गये है, तो सामान्य शब्द विशेष शब्दों के भावार्थ से समझे जायेंगे।
- जैसे :– यदि अधिनियम में यह लिखा हुआ है कि कुत्ते, बिल्ली, गाय भैंस इत्यादि अन्य जावरों को घरों में रखा जा सकता है। यहां अन्य जानवरों में शेर, भालू को शामिल नहीं किया जायेगा।**(2M)}**

{एजुसडेम जेनरिस लागू होगा :–

- विशेष शब्द हो और सभी एक श्रेणी के हो।
- विशेष शब्द के पश्चात् सामान्य शब्दों का प्रयोग हो।**(2M)}**

{एजुसडेम जेनरिस का लागू न होना :–

- जब विशेष शब्द अलग–अलग प्रकार के हो।
- कोर्ट यदि एजुसडेम जेनरिस लागू नहीं करता है।**(1M)}**

Answer 6

(a) {(i) वर्ष :– वर्ष से आशय ऐसी अवधि से है, जो 1 जनवरी से शुरू होती है तथा 31stदिसम्बर को समाप्त होती है।**(2M)}**

{(ii) वित्त वर्ष :– वित्त वर्ष से आशय ऐसी अवधि से है, जो 1 अप्रेल को शुरू होती है तथा आगामी 31

मार्च को समाप्त होती है।**(3M)}**

(b) **{**'रिश्तेदार', से तात्पर्य :–
(1) यदि वह HUF का सदस्य है।
(2) यदि वे पति–पत्नी है।**(2M)}**
(3) **{**पिता (सौतेला पिता शामिल)
(4) माता (सौतेली माता शामिल)
(5) पुत्र (सौतेला पुत्र शामिल)
(6) पुत्र की पत्नी
(7) पुत्री
(8) पुत्री का पति
(9) भाई (सौतेला भाई शामिल)
(10) बहन (सौतेली बहन शामिल)**(3M)}**

(c)

{सरकारी कम्पनी की दशा में	**{गैर सरकारी कम्पनी की दशा में**
(i) कम्पनी पंजीकृत होने के 60 दिन में CAG द्वारा नियुक्ति की जायेगी। (ii) यदि CAG 60 दिन में नहीं करता, तो बोर्ड अगले 30 दिन में करेगा। (iii) बोर्ड नहीं करता तो सदस्य EGM में अगले 60 दिन में करेंगे। **(2M)}**	(i) बोर्ड द्वारा कम्पनी पंजीकृत होने के 30 दिन में अंकेक्षक नियुक्त होगा। (ii) यदि बोर्ड 30 दिन में नियुक्त नहीं कर पाता हे, तो अगले 90 दिन में सदस्य EGM में नियुक्ति करेंगे।**(2M)}**
{प्रथम अंकेक्षक पहली AGM की समाप्ति तक अंकेक्षक रहेगा।**(1M)}**	

(d)

लाभांश के प्रकार

अन्तिम लाभांश	**अन्तरिम लाभांश**	
• बोर्ड द्वारा घोषणा की जाती है।	• बोर्ड द्वारा घोषणा की जाती है।	**2M**
• अनुमोदन सदस्यों द्वारा AGM में किया जाता है।	• बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाता है।	**2M**
• सदस्य लाभांश की दर को बढ़ा नहं सकते केवल घटा सकते है।	• यह दो AGM के मध्य घोषित होता है।	**1M**

***